न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)

अपील संख्याः 224/2023 GcmsNo-2023/480

फैलीराम मीणा पुत्र स्व0 श्री कानाराम जाति मीणा निवासी ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर।

2. श्रीमती गंगा देवी धर्मपत्नि देवप्रकाश जाति मीणा निवासी दुर्गापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार तहसील सांगानेर, ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला पटवार हल्का खेडी गोकुलपुरा, नामान्तकरण संख्या 188 दिनांक 28.12.2018

उपस्थितः–

1. श्री रामजीलाल चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 21.12.2023

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार सांगानेर के निर्णय दिनांक 28.12.2018 जिससे नामान्तरकरण संख्या 188 वाके ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला, तहसील सांगानेर रेस्पाडेन्ट्स संख्या 2 के नाम स्वीकार किया गया से असंतुष्ट होकर दिनांक 15.11.2022 को न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पाडेन्ट्स को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या–2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तहसीलदार सांगानेर से मूल नामान्तकरण की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील कथन किया कि नामान्तकरण संख्या 188 पर दिनांक 27.12.2018 को मुताबिक विकय पत्र के नामान्तकरण दर्ज कर तहसीलदार सांगानेर द्वारा तस्दीक कर दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जिस विकय पत्र के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण खोला गया है वो विकय पत्र दिनांक 11.02.1994 को तस्दीक किया गया था। जिसके तस्दीक होने के 23 वर्षो के पश्चात यानि वर्ष 2018 में नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। जो किसी न्यायालय के आदेश से तस्दीक नहीं किया गया है केवल कयास के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। जिस तथाकथित विकय पत्र के आधार पर तहसीलदार सांगानेर ने अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया गया है उसका विकय पत्र स्व0 कानाराम ने तस्दीक करवाना बताया है जबकि अपीलाधीन आदेश पारित होने से पूर्व कानाराम का देहान्त 29.05.2005 को हो चुका है तथा उसके देहान्त के उपरान्त विरासत का नामान्तकरण संख्या 100 दिनांक 07.07.2010 को उसके पुत्र फैलीराम अपीलांट के नाम से तस्दीक किया जा चुका है। उक्त नामान्तकरण को आज दिनांक तक किसी न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया है। विवादित भूमि पर रेस्पा0 संख्या 2 का कभी कब्जा नहीं रहा है एवं

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार से सुनवाई का अवसर नहीं दिया साथ ही कब्जे के संबंध में पटवारी हल्का द्वारा किसी प्रकार की रिपोर्ट मंगवाना उचित नहीं समझा। विवादित आराजीयात अपीलांट की पैतृक आराजीयात है जिस पर अपीलांट काबिज होकर आज भी कृषि काश्त करता आ रहा है। विवादित भूमि का कुछ हिस्सा अपीलांट ने विक्रय कर दिया था जिसका नामान्तकरण संख्या 106 दिनंक 22.09.2010 को महेश कुमार पुत्र सुरज्ञानीराम के नाम स्वीकृत हो चुका था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तथ्यों पर गौर नहीं किया और न ही हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार बनाया। अपीलांट के पिता कानाराम अनपढ व्यक्ति थे तथा उन्होंनें अपने जीवनकाल में कभी भी हस्ताक्षर नहीं किये किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर यह विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है। अपीलांट को दिनांक 07.11.2022 को तब हुयी जब रेस्पा0 संख्या 2 के पति व अन्य लोगो ने मौके पर अपीलांट को जबरन बेदखल करने की धमकी दी जिस पर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में आकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 2812.2018 की प्रमाणित प्रति दिनांक 14.11.2022 को प्राप्त की तब अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश का पता चला जिसके पश्चात अपीलांट ने अविलम्ब माननीय न्यायालय में दिनांक 15.11.2022 को अपील पेश की है। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर तहसीलदार सांगानेर का आदेश दिनांक 28.12.2018 बाबत नामान्तकरण संख्या 188 वाके ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावला, तहसील सांगानेर निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण रेस्पाडेन्ट संख्या 2 के हक में विक्रय पत्र के आधार पर नियमानुसार नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों अनुसार अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 07.11.2022 को हुयी। न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद मानी जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन नामान्तकरण की प्रमाणित छायाप्रति के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 188 मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 11.02.1994 के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.12.2018 को रेस्पा0 संख्या 2 के नाम से भरा गया, साथ ही जिसके पश्चात गिरदावर हल्का की रिपोर्ट दिनांक 27.12.2018 के आधार पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण दिनांक 28.12.2018 को तस्दीक कर दिया गया। विद्वान अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलाधीन आराजीयात के संबंध में अपीलांट के नाम से विरासत का नामान्तरकण संख्या 100 दिनांक 07.07.2010 को तस्दीक किया जा चुका था जिसके बावजूद तहसीलदार सांगानेर द्वारा 1994 के विक्रय पत्र के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण रेस्पा0 संख्या 2 के नाम तस्दीक कर दिया। पत्रावली का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल नामान्तकरण की छायाप्रति का अवलोकन किया गया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन भूमि के संबंध में सन् 1994 के विक्रय पत्र के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 188 दिनांक 28.12.2018 को तस्दीक किया गया जबकि इसके पूर्व में अपीलाधीन आराजीयात के संबंध में अपीलांट के हक में विरासत का नामान्तकरण संख्या 100 दिनांक 22.07.2010 को एवं विक्रय पत्र के आधार नामान्तकरण संख्या 106 महेश कुमार पुत्र सुरज्ञानी राम के

अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)

हक में दिनांक 22.09.2010 को तस्दीक किये जा चुके थे। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया जो न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सन् 1994 में निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर अपीलाधीन आराजीयात के वर्तमान में खातेदार/काश्तकार को बिना सुने एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए रेस्पा0 संख्या 2 के हक में लगभग 23 वर्ष पश्चात दिनांक 28.12.2018 नामान्तकरण संख्या 188 तस्दीक कर दिया जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.12.2018 बाबत नामान्तरकरण संख्या 188 वाके ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला, तहसील सांगानेर निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार सांगानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (**Remand**) किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान एवं अपीलाधीन भूमि की वर्तमान जमाबन्दी में निहित समस्त काश्तकार को नियमानुसार सुनवाई का समुचित अवसर देकर, उभय पक्षकारान एवं भूमि के समस्त काश्तकार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात का अवलोकन कर, अपीलाधीन भूमि पर वर्तमान में कब्जा काश्त की स्थिति आदि समस्त तथ्यों का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)